

प्रेषक,

हरीश त्रिपाठी,  
प्रधान न्यायाधीश,  
पारिवारिक न्यायालय, बरेली

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक सं० - 14 पारि० न्या०, बरेली,

दिनांकित 03.02.2022

विषय :- पुत्री के विवाह हेतु सामान्य भविष्य निधि खाता सं०- एल०जे०यू०-19925 से अंकन 5000000/- (पचास लाख मात्र) अंतिम निष्कासन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि मेरी सुपुत्री कुमारी जागृति त्रिपाठी का तिलक एवं सगाई संस्कार दिनांक 04.03.2022 को एवं शुभ विवाह दिनांक 27.04.2022 को नियत है। पुत्री के विवाह में चार पहिया वाहन, सोने-चौदी के आभूषण, वैवाहिक अवसर पर दिये जाने वाले कीमती वस्त्रों के क्रय, बारात की सेवा सत्कार, खानपान पर व्यय एवं उपहार स्वरूप नकद धनराशि देने हेतु मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। पुत्री के विवाह हेतु मुझे अंकन 50,00,000/- (पचास लाख मात्र) रूपयों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मेरे जी०पी०एफ० खाता सं०- एल.जे.यू. 19925 में अंकन 68,45,258/- (अरसठ लाख पैतालीस हजार दो सौ अठावन) रूपये जमा हैं।

जी०पी०एफ० खाते से अन्तिम निष्कासन हेतु विहित प्रारूप पर आवेदन निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

1. अन्तिम निष्कासन हेतु आवेदन पत्र
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत चार वर्षों की सत्यापित जी.पी.एफ. पासबुक की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
3. पूर्व में लिए गये अन्तिम/अस्थायी निष्कासन एवं वसूली के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र
4. जी.पी.एफ. खाते में जमा धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
5. आर्थिक स्थिति एवं प्रार्थित धनराशि को व्यय किये जाने वाले उद्देश्य का प्रमाण पत्र
6. विवाह विवरण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र - शादी का कार्ड
7. अस्थायी/अग्रिम स्वीकृति एवं वसूली से सम्बन्धित सत्यापित जी.पी.एफ. पासबुक की स्वप्रमाणित छाया प्रति.
8. अतिरिक्त धनराशि वापस करने की अन्डटैकिंग

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे सामान्य भविष्य निधि खाता सं०- एल०जे०यू०-19925 से पुत्री के विवाह हेतु अंकन 50,00,000/- (पचास लाख मात्र) रूपये अंतिम निष्कासन स्वीकृत करने हेतु माननीय न्यायालय से समावेदन करने की कृपा करें।

दिनांक :- 03.02.2022

भवदीय

(हरीश त्रिपाठी)

प्रधान न्यायाधीश,

पारिवारिक न्यायालय, बरेली

जिला न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश

पारिवारिक न्यायालय, बरेली